2013 का विधेयक सं .24

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-.)1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 30 मई, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 24 का संशोधन -.महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. कुलपति. -(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 34 का संशोधन -.मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"34. लेखे और संपरीक्षा. -(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक बजट प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।"।

4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं.8 में नयी धाराओं का अन्त:स्थापन-. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 37 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"37-क. राज्य सरकार का नियंत्रण. -जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात् -:

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण. -पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

37-ख. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा. -(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां) -.1) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर)संशोधन (अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं .6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदाकदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर हैं।

अत: विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 की कुछ धाराओं को संशोधित करने और उसमें कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया था, अर्थात्, कुलपति की नियुक्ति की पद्धति, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, लेखे और संपरीक्षा, राज्य सरकार की निधियों के संबंध में राज्य सरकार का नियंत्रण और आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियन्त्रण की धारणा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 30 मई, 2013 को महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर)संशोधन (अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं .6) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 3 जून, 2013 को प्रकाशित हुआ।

पूर्वोक्त अध्यादेश के खण्ड 2 में निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया

था। अब यह विनिश्चय किया गया है कि महानिदेशक या उसके नामनिर्देशिती को उक्त समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तदनुसार विधेयक का खण्ड 2 उपांतरित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को यथा पूर्वोक्त उपांतरण सहित प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

मुरारीलाल मीणा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 ,यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमश :प्रस्तावित धारा 24)3 (के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां, और प्रस्तावित धारा 34 (2)के अधीन ऐसी तारीख, जिससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे , विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

मुरारीलाल मीणा,
प्रभारी मंत्री।

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं.8) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

24. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, उप-धारा (2) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा बनाये गये कृषि विज्ञान में ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों/ वैज्ञानिकों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु प्रथम कुलपति कुलाधिपति के द्वारा सरकार की सलाह से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो सरकार अवधारित करे।

(2) खोज समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिनमें से एक को कुलाधिपति के द्वारा संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जायेगा:-

(i) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ii) सरकार का एक नामनिर्देशिती;

(iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और वह तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) कुलपति की सेवा की परिलब्धियां और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विहित की जायें और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनका परिवर्तन उसके लिए अहितकर रूप में नहीं किया जायेगा।

(5) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्व हस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र दे सकेगा जो कुलाधिपति को सामान्यत: उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा।

(6) छुट्टी या निलंबन के कारण या अन्यथा कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति होने की दशा में या जब कोई अस्थायी व्यवस्था करना आवश्यक हो जाये तब, कुलाधिपति कुलपति के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(7) कुलपति को उसके पद से, यदि उसके कदाचार या अक्षमता के आधार पर सरकार द्वारा सिफारिश की जाये या कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए अहितकर है, ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, जिसमें कुलपति को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर प्राप्त होगा, कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश के सिवाय, नहीं हटाया जायेगा।

XX XX XX XX

34. लेखे और संपरीक्षा.- विश्वविद्यालय के लेखाओं का वार्षिक विवरण नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और सरकार द्वारा नामनिर्देशित या प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। विवरण में विश्वविद्यालय को किसी भी स्रोत से प्रोदभूत होने वाले या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धन और विश्वविद्यालय द्वारा संवितरित और संदत्त सभी रकमें सम्मिलित हैं। बोर्ड द्वारा ऐसा विवरण सरकार को सामान्यत: उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिससे वह सम्बन्धित है, छह मास के भीतर-भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

XX XX XX XX

Bill No. 24 of 2013

(Authorised English Translation)

MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act,2000.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30^{th} May, 2013.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- For the existing section 24 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**24. Vice-Chancellor.**- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of -

(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;

(b) Director General, Indian Council of Agriculture Research or his nominee;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

3. **Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 8 of 2000.**- For the existing section 34 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**34. Accounts and audit.**- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual budget estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual budget estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.".

4. Insertion of new sections, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- After the existing section 37 and before the existing Chapter VII of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**37-A. Control of the State Government.**- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;

(b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;

(c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

(d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;

(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;

(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

37-B. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability

of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.".

5. Repeal and savings.- (1) The Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 6 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the University and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which University can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it had been decided to amend some section and to add new provision i.e. method of appointment of Vice-chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, Accounts and audit, control of the State Government regarding State Government funds and assumption of financial control by the State Government as emergency measure in the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 6 of 2013) on 30th May, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 3rd June, 2013.

In clause 2 of the aforesaid Ordinance Director in Indian Council of Agriculture Research was included as the member of Selection Committee to be constituted for the purpose of the selection of Vice-Chancellor. Now it has been decided that Director General or his nominee should be included as a member

of the aforesaid Committee. Accordingly clause 2 of the Bill has been modified.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

Hence the Bill.

मुरारीलाल मीणा,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 2 and 3 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 24 (3) and the date before which annual budget estimates for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 34 (2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

मुरारीलाल मीणा,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR ACT, 2000
(Act No. 8 of 2000)

XX XX XX XX XX XX

24. **The Vice-Chancellor**.- (1) the Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor on advice of the State Government from the panel of eminent educationists/scientists in Agricultural Sciences drawn by the Search Committee constituted under sub-section (2):

Provided that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Government may determine.

(2) The Search Committee shall consist of the following persons one of whom shall be nominated by the Chancellor to act as convenor:-

(i) Director General, ICAR or his nominee;

(ii) One nominee of the Government;

(iii) One nominee of the Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and he shall be eligible for re-appointment for a second term of three years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

(4) the emoluments and other conditions of the service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by UGC/ICAR and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(5) The Vice-Chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier.

(6) In the case of temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reasons of leave, suspension or otherwise or when a stop gap arrangement is necessary, the Chancellor may, on the advice of the Government, make such arrangements for carrying on the functions of the Vice-Chancellor as he deems necessary.

(7) The Vice-Chancellor shall not be removed from his office except by order of the Chancellor passed, if recommended by the Government on the ground of his misbehaviour or incapacity or, if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, after due inquiry, by such person who is or has been a Judge of High Court to be nominated by the Chancellor, in which the Vice-Chancellor shall have an opportunity of making his representation.

XX XX XX XX XX XX

34. **Accounts and Audit.-** The Annual Statement of accounts of the University shall be prepared by the Comptroller and certified by an authority to be nominated or authorised by the Government. The statement shall include all the money accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed and paid by the University. Such statement shall be submitted to the Government by the Board normally within six months after close of the financial year to which it pertain.

XX XX XX XX XX XX

<u>2013 का विधेयक सं. 24</u>

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,

विशिष्ट सचिव।

(मुरारीलाल मीणा, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No. 24 of 2013</u>

MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act,2000.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Murari Lal Meena, **Minister-Incharge**)